

राजस्थान सरकार  
उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग

ईमेल- [higheredu3@rajasthan.gov.in](mailto:higheredu3@rajasthan.gov.in) दूरभाष-0141.5153222ए 5153223ए 5153660 ,आई.पी.नं.24870)

क्रमांक प. 6(2)उच्च शिक्षा/ग्रुप-3/2023

जयपुर, दिनांक:-

**:- आदेश :-**

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-278.0.0 व 278.1.0 की अनुपालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 03.03.2023 के क्रम संख्या-12 पर अंकित श्रीगंगानगर जिले में राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूनावाड़ के स्थान पर संशोधित कर राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूनावाड़ एतद्वारा किया जाता है।

उक्त संशोधन की सूचना वित्त विभाग द्वारा CMIS Cell को पोर्टल पर संशोधन के लिए प्रेषित कर दी गई है। शेष शर्तें यथावत् रहेगी एवं आयुक्तालय उक्त संबंध में समस्त आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह संशोधन वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 152300719 दिनांक 19.04.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन नोगिया)  
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग।
9. शासन उप सचिव- II, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

**Signature valid**

Digitally signed by Brij Mohan Nogia  
Designation: Deputy Secretary  
Date: 2023.04.20 17:54:44 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3684159



विषय :- बजट वर्ष 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा बिन्दु संख्या 278.0.0 एवं 278.1.0 की अनुपालना में जारी राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.03.2023 एवं विभाग के पृष्ठांकित आदेश क्रमांक 1422 दिनांक 03.03.2023 में क्रम संख्या 12 पर अंकित राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूनवाड़ के स्थान पर संशोधित कर राजकीय कन्या महाविद्यालय, चूनावड़ किये जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश दिनांक 20.04.2023 के पृष्ठांकन बाबत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. शासन उप सचिव-प्रथम, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय, राजस्थान।
12. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
13. संयुक्त निदेशक, एच.आर.डी/संयुक्त निदेशक, प्रशासन, आकाशि, राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक, अकादमिक, आकाशि, राजस्थान, जयपुर।
15. सहायक निदेशक, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
16. नोडल अधिकारी, संबंधित नवीन राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
17. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।
18. रक्षित पत्रावली।

( डॉ. विमलेश सोनी )  
संयुक्त निदेशक, आयोजना

Signature valid

Digitally signed by Vimlesh Soni  
Designation: Associate Professor  
Date: 2023.04.26 21:58:24 IST  
Reason: Approved

